

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली - 110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX: 23364197
E-mail: mplads@nic.in

No. C-16 2009-MPLADS (Pt-I)

Dated 09.08.2011

To,

The Commissioners, Corporation of Kolkata Chennai Delhi
District Collectors District Magistrates Deputy Commissioners
All State UT Nodal Department.

Subject: **Convergence of MPLAD Scheme with MGNREGS works-reg:**

The MPLADS Guidelines stipulates vide Para 3.17 that 'MPLAD Scheme can be converged with the Central and State Government schemes **provided such works are eligible under MPLADS**. Funds from local bodies can also be pooled for MPLADS works. Whenever such pooling is done, funds from other scheme sources should be used first and the MPLADS funds should be released later, **so that MPLADS fund results in completion of the work**'.

2. It has been reported that some of the State Governments had issued order to converge MPLAD Scheme with MGNREGS Scheme. Since the objective of the two Schemes are quite divergent, convergence of National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) with MPLAD Scheme is not in consonance with the objective of the MPLADS Scheme.

3. In view of the above, all district authorities should strictly adhere to the provisions of the MPLADS guidelines.

Yours faithfully,

(A.K. Choudhary)

Copy for information:

1. All Hon'ble Members of Parliament (L.S. RS).
2. Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
3. Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
4. NIC for uploading on the MPLADS Website.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme



सत्यमेव जयते

अनिल कुमार चौधरी
निदेशक
ANIL KUMAR CHOUDHARY
DIRECTOR
TEL : 23344933
FAX : 23364197

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : akchoudhary@nic.in

सं.सी-16/2009-एमपीलैड्स (भाग-1)

09.08.2011

श्रीवा में,

आयुक्त नगर निगम, कोलकाता/वेनार्ड/दिल्ली
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के गौडल विभाग ।


विषय: एमजीएनआरईजीएस कार्यों के साथ एमपीलैड्स योजना का आमेलन ।

एमपीलैड्स योजना के पैरा 3.17 में यह उल्लेख है कि एमपीलैड्स योजना केंद्र तथा राज्य सरकार योजनाओं के साथ आमेलित की जा सकती हैं बशर्ते ऐसे कार्य एमपीलैड्स के अंतर्गत पात्र हों । स्थानीय निकायों की निधि को एमपीलैड्स कार्यों के लिए भी मिलाया जा सकता है । जब कभी ऐसा एकत्रीकरण किया जाता है तो अन्य योजना स्रोतों की निधि को पहले उपयोग किया जाना चाहिए तथा एमपीलैड्स निधि को बाद में जारी किया जाना चाहिए ताकि एमपीलैड्स निधि का परिणाम कार्य की पूर्णता हो ।

2. यह सूचित किया गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने एमपीलैड्स योजना के साथ एमजीएनआरईजी योजना के आमेलन के आदेश जारी किए थे । चूंकि इन दो योजनाओं के उद्देश्य बिल्कुल भिन्न हैं अतएव एमपीलैड्स योजना के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का आमेलन एमपीलैड्स योजना के उद्देश्य के साथ सांगजस्य नहीं रखता है ।

3. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, सभी जिला प्राधिकारी एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करें ।

भवदीय,


(ए.के. चौधरी)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय सांसद (लोकसभा/राज्यसभा)
2. एमपीलैड्स संबंधी लोकसभा समिति, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्यसभा समिति, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमजीएनआरईजी को एमपीलैड्स योजना के साथ आमेलन करने के लिए ।